

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 300/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
भारतीय स्टेट बैंक- आरएसीपीसी-11, चित्रकूट, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री महेश सिंह शेखावत पुत्र श्री जगदीश सिंह,
पता:- हाऊस नं. 18, गोपाल नगर, शिव अपार्टमेन्ट, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर
एवं प्लेट नं. 804, आठवां पलोर, लोटस, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002.

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :-

1. श्री विनोद चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 27.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 07.11.2013 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेश सिंह शेखावत पुत्र श्री जगदीश सिंह के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. 804, आठवां पलोर, लोटस, शंकरा रेजीडेन्सी, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 19,55,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 19,55,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 19,39,023/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.02.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब

प्र
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का नुमान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में बसूली योग्य बकाया राशि रुक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने वाले का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के संदर्भ में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र ल्योंकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री नरेश सिंह शेखावत पुत्र श्री जनार्दन सिंह के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लेट नं. 804, आठवां फ्लोर, लॉटस, शंकरा सेजोडेन्सी, ओमैक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपस्थित जयपुर शहर/पुलिस अर्धीक्षक जयपुर प्रान्तीय को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से क्रम हॉकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकाश राजपुत्राहिले
जिला नजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर